

डिकी व मुकद्दमें इव्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाव्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)

व मु0 उनवान :-

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1 मीरा पत्नी बनवारी | } | जाति राजपूत निवासी छत्तापुरा तह0 खेरागढ
जिला आगरा उ0प्र0 |
| 2 गोदावरी पत्नी अमीरी सिंह | | |
| 3 सुनीता पत्नी भूदेव | | |

--- वादीगण

बनाम

- | | | |
|--|---|---|
| 1. भगवान सिंह पुत्र नत्थीलाल जाति राजपूत निवासी छत्तापुरा तहसील खेरागढ | } | जाति राजपूत निवासी छत्तापुरा तह0 खेरागढ
हाल निवास वार्ड न07 राजाखेडा |
| 2. पूरन सिंह पुत्र भोन्दू | | |
| 3. रमेश पिसरान बेतालसिंह | | |
| 4. सुघर सिंह | | |
| 5. शिवसिंह | | |
| 6. एस0बी0आई0 राजाखेडा | | |
| 7. तहसीलदार राजाखेडा बहैसियत लैण्ड होल्डर | | |

-----प्रतिवादीगण

दावा:- स्वत्व घोषणा, बंटवारा

काश्त, मय स्थाई निषेधाज्ञा

88,53,188 आरटीए

निर्णय दिनांक 11.12.2021

मु0 नम्बर 86/21

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 क्षे0 2.0867 है0, 85 क्षे0 0.2656 है0 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 2.3523 है0 बांके ग्राम जरिहा न0 1 तहसील राजाखेडा में बादीया सं0 1 मीरा हिस्सा 1/8, वादीया सं0 2 गोदावरी हिस्सा 1/8 तथा वादियान सं0 3 सुनीता हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 भगवान सिंह हिस्सा 1/6, एवं प्रतिवादी सं0 2 पूरन सिंह हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात कायम किये जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी

राजाखेडा

1/1e